

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० गिस केस सं०-80/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश का की गई कार्रवाई के बाद दिवसीय तारीख सख्त
06.09.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 25.11.17 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 25.11.17 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
25.11.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 25.11.18 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 25.11.18 को उपस्थापित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
02.01.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 611, दिनांक 28.12.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 30.12.2017 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक (1) सुमन्ती तिग्गा, (2) सुमद्रा तिग्गा, (3) आशीष तिग्गा, सभी का पिता-स्व० दिलीप तिग्गा, जाति-उरांव (अ.ज.जा.) ग्राम-तिरला, पो०-रायकेरा, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-तिरला, थाना नं०-117, खाता नं०-257, प्लॉट नं०-116, रकबा 0.27½ ए०, क्रेता शर्मिला तिकी, पिता-गोवर्धन तिकी, जाति-उरांव (अ.ज.जा.), ग्राम-तिरला, पो०-रायकेरा, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक (1) सुमन्ती तिग्गा, (2) सुमद्रा तिग्गा, (3) आशीष तिग्गा, सभी का पिता-स्व० दिलीप तिग्गा, जाति-उरांव (अ.ज.जा.) ग्राम-तिरला, पो०-रायकेरा, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना-मनोहरपुर के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति उरांव (अ.ज.जा.) समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकबा-4.07 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता शर्मिला तिकी, पिता-गोवर्धन तिकी, जाति-उरांव (अ.ज.जा.), ग्राम-तिरला, पो०-रायकेरा, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	